परिशिष्ट (देखिये नियम 6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा 2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग – 1

(प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिये)

1– परियोजना विवरण :–

(1) अपेक्षित वन भूमि के लिये प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षितप्त विवरण — प्र० म० ग्रा० स० यो० के अन्तर्गत पोखरी-काण्ड मो० मा० निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण-प्रस्ताव,

(2) 1:50000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों — मानचित्र संलग्न है,

(3) परियोजना की लागत — 881.60 लाख

(4) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य — उक्त मार्ग निर्माण से दूरस्थ गांव शरणाचांई-ढामक, काफलपानी, त्रिशूला आदि ग्रामों के निवासियों को आवागमन एवं रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे,

(5) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिये)

(6) रोजगार जिनके पैदा होने की सम्भावना है — स्थानीय जनता को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे,

2– कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्य विवरण — 7.35 है० सिविल/वनपंचायत भूमि लो०नि०वि० को हस्तान्तरण करना,

3– परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण यदि कोई है – — लागू नहीं है,

(1) परिवारों की संख्या

(2) अनुसूचित जाति/जन जाति के परिवारों की संख्या

(3) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिये) — लागू नहीं है

4– क्या पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है – (हां/नहीं) — नहीं (मार्ग कच्चा है)

5– प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्ड स्वरुप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–2 राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत ओर सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाय)

6– निर्देशों के अनुसार अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा – — विषय सूची के अनुसार,

तिथि –

स्थान – पोखरी

(बलराम मिश्रा)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
पोखरी

प्रस्ताव की कम संख्या :–

(प्राप्त करने की तारिख नोडल अधिकारी द्वारा भरी जानी हैं)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या – ....

(प्राप्ति की तिथि के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

भाग – 2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या – ....

7– परियोजना/स्कीम का स्थान – जनपद-चमोली में प्र० मं० ग्रा० स० यो० के अन्तर्गत पोखरी-काण्डई मोटर मार्ग निर्माण, उत्तराखण्ड

(1) राज्य/संघ शासित क्षेत्र उत्तराखण्ड

(2) जिला – चमोली चमोली

(3) वन प्रभाग – अलकनन्दा भू० सं० वनप्रभाग गोपेश्वर (चमोली)

(4) वनेत्तर भूमि प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे0) 14.70 है०

(5) वन की कानूनी स्थिति – उत्तम

(6) हरियाली घनत्व

(7) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि/श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलगन की जाय)। सिंचाई जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल. – 2 मी0 पर परिगणना और एफ.आर.एल. –4 मी0 भी संलगन किये जायं — प्रस्ताव संलग्न

(8) (1)भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी
(2) वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल (हे0 में) — प्रस्तावित क्षेत्र में भूक्षरण की सम्भावना नहीं है, भू वैज्ञानिक की आख्या संलग्न.

(9) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान,वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल रिर्जव, बाघ रिर्जव, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हां क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबन्धित की जायें) — नहीं

(10) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणीजात की दुलर्भ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है। यदि हो/तो तत्सम्बन्धित ब्यौरा दें। — नहीं

(11) क्या कोई सुरक्षित पुरात्तवीय/पौरम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोइ अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्सम्बन्धित ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें। — नहीं

8– प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। — वनपंचायत व सिविल वन भूमि न्यूनतम है अभी मार्ग प्रस्तावित है, स्वीकृत के पश्चात निर्माण करवाया जायेगा।

9– क्या अधिनियम के उल्लघंन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लघंन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं। — नहीं

10– प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा –

(1) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आसपास के वन से इसकी दूरी भू–खण्डों की संख्या प्रत्येक भू–खण्ड का आकार — संलग्न

(2) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आसपास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप — संलग्न

(3) रोपित की जाने वाली प्रजातियों प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन, ऐजेन्सी,समय,अनुसूची, लागत,ढांचा आदि — संलग्न

(4) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तय परिव्यय — संलग्न

(5) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उपवन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय) — प्रस्ताव के साथ प्राक्कलन संलग्न,

11— जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 ;ग्ग्ग्पद्ध 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये संलग्न करें। संलग्न,

12— विभाग/जिलाप्रोफाइल :—

(1) जिला का भौगोलिक क्षेत्र — 8030 वर्ग कि० मी०

(2) जिले का वन क्षेत्र — 5061.002 वर्ग कि० मी०

(3) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र - 15 मामले 843.00 है०

(4) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण

(क) दण्ड के रुप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि — रिक्त

(ख) वनेत्तर भूमि पर — रिक्त.

(5) 2013 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति

(क) वन भूमि पर — रिक्त.

(ख) वनेत्तर भूमि पर 843.00 है०

13— प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव के अन्यथा लेने के सम्बन्ध उपवन संरक्षक की विशेष सिफारिश

तिथि —

स्थान — गोपेश्वर

हस्ताक्षर

(नाम ....)

सरकारी मोहर

भाग – 3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14– स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है, क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारिख और किये गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रुप में संलग्न करें।

15– क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग "ख" में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

16– प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

तिथि –

स्थान –

हस्ताक्षर

(नाम .....)

सरकारी मोहर

भाग – 4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

17– टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव के स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें)

(राय देते समय सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक अथवा एप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

तिथि –

स्थान –

हस्ताक्षर

(नाम ....)

सरकारी मोहर

99

भाग – 5

(इसे वन विभाग प्रभारी, सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाता है)

18– राज्य सरकार की सिफारिश

(उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाय)

तिथि –

स्थान –

हस्ताक्षर

(नाम ....)

सरकारी मोहर

SITE INSPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF
(for the forest land to be diverted under FCA)

5.1 A proposal has been received by this office from Executive Engineer P.W.D POKHARI (PMGSY) , for diversion under FCA-1980 of 9.8 hectares of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for construction of POKHARI – KANDAI motor road. The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated 10-12-2013

5.2 On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF **NIL ha**/Civil Forest **4.2 ha**/Van Panchayat **3.15 ha**/ Private Land **2.45 ha**. Total Measuring **9.8 ha.**
5.3 The requirement of forest land as proposed by the user agency in Co1.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project.

5.4 Whether any rare /endangered /unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of :-

5.5 xx Whether any protected archeological /heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area, if, so the details thereof with NOC from competent authority, if required.-

a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.

b) It has been found that the user agency has violated (Conservation), Act, and 1980 provisions. A details report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Hand book of forest (Conservation) Act, 1980 attached.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

The Proposal is Recommended.

(Signature)

Place :-

Date :-

Name.....
Designation.....
Office Seal .....

N.B. x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.
xx out of(a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC darted 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less then 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more the 40 hectares of forest land site inspection report from the conservator of forests is required.